बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

[कृषि विभाग - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग - नगर विकास एवं आवास विभाग - सहकारिता विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 26

उच्चतर प्रभार देने के संबंध में ।

*29 **मो० तौसीफ आलम** (52) (**बहादुरगंज**)ः

सहकारिता विभाग क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-क्या यह बात सही है कि सरकार में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2014 में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के मूलकोटि के 10 प्रतिशत पद सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग के संदस्यों से वरीयता -सह- मेधा के आधार पर प्रोन्नति देने का प्रावधान है, के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अक्टूबर, 2025 में परामर्श दिया गया है कि ऐसी प्रोन्नति जंपिंग नहीं समझी जाएगी, यदि हाँ तो सरकार उक्त विभाग में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के संवर्ग के क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग के पदों को नियमानुसार उच्चतर प्रभार कब तक का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना

*30 **श्री कुमार सर्वजीत** (229) (**बोधगया (अ० जा०)**)ः

कृषि विभाग :-

दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 01.07.26 को प्रकाशित शीर्षक "23 जिलों में 50% कम बारिश, किसान परेशान" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि राज्य के 32 जिलों में सामान्य से 50-100 फीसदी कम वर्षापात हुई है;

2. क्या यह बात सही है कि राज्य में 30 जून तक निर्धारित लक्ष्य का 60% बिचड़ा गिरा है और रोपनी मात्र 1 फिसदी ही हुई है;

3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सम्बंधित जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करते हुए किसानो को डीजल अनुदान उपलब्ध कराने एवं कृषि फीडर में 24 घंटे निर्बाध विधुत आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

फसल क्षति राशि का भुगतान

*31 **श्री बैद्यनाथ प्रसाद** (23) (**रीगा**):

सहकारिता विभाग :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

क्या यह सही है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत खरीफ-2024 के लिए किसानों से आवेदन कराया गया था, परन्तु डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा अभी तक फसल क्षति राशि का भुगतान नहीं किया गया है; यदि हाँ तो क्या सरकार किसानों की फसल क्षति राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

जमाबंदी का डिजिटाईजेशन करना

*32 **श्रीमती शालिनी मिश्रा** (15) (**केसरिया**):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में अंचल कार्यालयों द्वारा जमाबंदी को डिजिटाईजेशन करने के क्रम में रकबा तो दर्ज कर दिया जा रहा है परंतु खाता-खेसरा नंबर छोड़ दिया जा रहा है,

2. क्या यह बात सही है कि अंचल कार्यालय से पता करने और परिमार्जन के तहत खाता-खेसरा नंबर दर्ज किये जाने हेतु आवेदन करने पर भूधारियों को नापी कराने के लिये आवेदन करने का निर्देश दिया जा रहा है जिसके लिये गरीबों को आवेदन शुल्क देना पड़ता है,

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सभी अंचल कार्यालयों को जमाबंदी के डिजिटाईजेशन के दौरान खाता-खेसरा नंबर का उल्लेख अनिवार्य रूप से किये जाने का आदेश देने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

गैस बुकिंग सम्बंधित प्रावधान को लागू कराने हेतु

*33 **श्री विनय कुमार चौधरी** (80) (**बेनीपुर**):

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि उपभोक्ता शहरी क्षेत्र में गैस बुकिंग 25 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के बाद ही कर सकेंगे, परंतु राज्य के कई शहरों विशेषकर दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र के उपभोक्ता गैस बुकिंग हेतु 25 दिन के प्रावधान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं;

2. क्या यह बात सही है कि 25 दिन के पश्चात गैस बुकिंग नहीं होने से बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाई हो रही है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के अन्य शहर सहित बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी 25 दिन के पश्चात गैस बुकिंग सम्बंधित प्रावधान को लागू करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जमाबंदी का निष्पादन करना

*34 **श्री राहुल कुमार** (216) (**जहानाबाद**):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है की विभाग के अंतर्गत लगभग 1570795 लेफ्ट आउट जमाबंदी के मामले थे जिसमें से लगभग 87% का निष्पादन हो गया है;

2.क्या यह बात सही है कि उक्त 87% निष्पादित मामले में से लगभग 90% मामलों में जमाबंदी आवेदन को यह कहकर निष्पादित किया गया है कि " रजिस्टर-II में मिलान नहीं है अथवा रजिस्टर-ii उपलब्ध नहीं है;

3.यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो "रजिस्टर-II में मिलान उपलब्ध न होने अथवा रजिस्टर -ii उपलब्ध न होने के मामलों का निष्पादन हेतु सरकार कौन सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में

*35 **श्री मंजीत कुमार सिंह** (100) (**बरौली**):

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:-

1.क्या यह बात सही है कि चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत प्रदेश की समग्र कृषि विकास हेतु

बड़ी संख्या में कृषि स्नातकों की आवश्यकता है;
2.क्या यह बात सही है कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित कृषि महाविद्यालयों एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रत्येक वर्ष कुल मात्र 722 सीटों पर नामांकन होता है जिसमें से 20% आई.सी.ए.आर के तहत आरक्षित है, जबकि प्रत्येक वर्ष नामांकन हेतु करीब 50 हजार प्रतिभागी परीक्षा में शामिल होते है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अधिक संख्या में कृषि स्नातकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वैसे जिलों यथा गोपालगंज, सारण, सिवान, मुंगेर, लखीसराय, गया आदि में जहाँ कृषि विभाग की अपनी भूमि उपलब्ध है में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पशु चिकित्सकों की नियुक्ति कराने हेतु

*36 **श्री देवेशकान्त सिंह** (111) (**गोरेयाकोठी**)ः

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ः-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
1. क्या यह बात सही है कि बिहार वेटेरिनरी सर्विस नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2014 (यथा संशोधित, 2021) के अन्तर्गत बिहार राज्य वेटेनिरी सर्विस के तहत 2300 पशु चिकित्सकों के विरूद्ध सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित राज्य के अन्य सभी जिलों में 1100 पशु चिकित्सकों का पद रिक्त् है; यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त रिक्त पदों पर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

शुद्ध पेय उपलब्ध कराने हेतु

*37 **श्री प्रमोद कुमार** (19) (**मोतिहारी**)ः

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
1.क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्रामीण नल-जल आपूर्ति करने का कार्य निविदा के माध्यम से कराये जाने का अभियान विभाग द्वारा चलाया गया हैं; यदि हाँ तो सरकार पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी प्रखंड के बरचा, लखौरा, नौरेगीया, मधुबनी, वरदाहा सहित राज्य भर में कितने नल-जल से जल आपूर्ति बाधित है तथा उस के निर्माण की क्या कार्यवाही हो रही है; तथा जो संवेदक द्वारा कागजी खानापूर्ति कर कागज पर नल-जल चलाये जा रहे है। उन के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करते हुए कब तक मोतिहारी सहित राज्य भर के ग्रामीण बसावटों के बीच शुद्ध पेय उपलब्ध कराने का विचार सरकार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बुनियादी सुविधा हेतु

*38 **श्री भाई बिरेंद्र (187) (मनेर):**

नगर विकास एवं आवास विभाग स्थानीय दैनिक समाचार में प्रकाशित शीर्षक " बैरिया बस टर्मिनलः 2 साल में पूरा होना था प्रोजेक्ट, 9 साल बाद भी अधूरा..... पैसा न मिला तो कंपनी भागी,, के आलोक में: क्या मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1.क्या यह बात सही है कि पटना शहर में बैरिया स्थित पाटलिपुत्रा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण पर सरकार द्वारा 340 करोड़ रूपये व्यय करने के उपरान्त प्रत्येक दिन 1100 से अधिक बसों के परिचालन के साथ 50,000 हजार से ज्यादा यात्रियों का आवाजाही होने के वाबजूद भी यात्रियों के बैठने का वेटिंग एरिया, पेयजल, शौचालय इत्यादि बुनियादी मानवीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ तो राशि व्यय होने के उपरांत भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नही रहने का क्या औचित्य है ?

खरीफ फसल सहायता योजना का लाभ दिलाना

*39 **श्री अमरेन्द्र कुमार (219) (गोह):**

कृषि विभाग :-

दैनिक समाचार पत्र के दिनांक 05/06/2026 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "दो साल से जाँच में अटकी है खरीफ फसल सहायता योजना" के आलोक में क्या मंत्री,कृषि विभाग,यह बतलाने की कृपा करेगें कि:-

1.क्या यह बात सही है कि राज्य में खरीफ 2024 में 9 लाख 59 हजार किसानों द्वारा फसल सहायता राशि के लिए आवेदन दिया गया था जिनमें से 2 लाख 66 हजार पात्र पाए गए;

2.क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा जाँच की प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण उक्त किसानों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिली है ;

3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विलम्ब के लिए जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई करते हुए किसानों को सहायता लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ? नहीं तो क्यों?

कृषि इनपुट अनुदान प्रदान करना

*40 **मो० कमरुल होदा (54) (किशनगंज):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1.क्या यह बात सही है कि मार्च 2026 में बिहार राज्य के 13 जिलों यथा किशनगंज,

पूर्णिया, अररिया, कटिहार इत्यादि जिले में हुए भारी ओलावृष्टि, आंधी असामयिक वर्षापात के कारण लगभग 6 लाख किसानों के रबी व बहुवर्षीय फसल की क्षति हुई थी;

2. क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2026 के तहत 3.96 लाख प्रभावित किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान वितरण डी०बी०टी० के माध्यम से दिनांक 22.6.2026 को किया गया है तथा 2.04 लाख किसान को अनुदान देने से वंचित कर दिया गया है;

3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो ,क्या सरकार शेष बचे हुए सभी 2.04 लाख किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का विचार रखती है, हां,तो कब तक,नहीं तो क्यों ?

सेटेलाइट टाउनशिप मे चयन के लिए

*41 **श्री सतीश कुमार सिंह यादव (203) (रामगढ़):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि बिहार मे शहरो को विकसित करने के लिए 12 जिलों के शहरों को सेटेलाइट टाउनशिप में चयनित किया गया है;

2.क्या यह बात सही है कि उक्त योजना मे शाहाबाद(कैमूर, बक्सर, आरा, रोहतास) के एक भी जिलों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त जिलो के लोगों में भारी मायूसी है;

3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कैमूर जिला के किसी भी शहर को सेटेलाइट टाउनशिप में चयनित करने का विचार रखती है, हाँ ,तो कब तक, नहीं तो क्यो?

कार्रवाई करना

*42 **श्री साम्रीद वर्मा (09) (सिकटा):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के बेतिया नगर निगम सहित विभिन्न निकायों में मेसर्स ए.आई.एम. एडकॉम प्राइवेट लिमिटेड एवं इससे संबंधित निदेशकों/ स्वामियों द्वारा पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी लगाने के नाम पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, नगर निगम की अनिवार्य व्यावसायिक विज्ञापन निविदा प्रक्रिया को पूरा किये बगैर सैकड़ों अनधिकृत यूनिपोल खड़े कर विज्ञापन से प्रतिवर्ष करोड़ों का अवैध राजस्व की

वसूली की जा रही हैं, जबकी इन संरचनाओं के पास कार्यपालक अभियंता का अनिवार्य 'स्ट्रक्चरल फिटनेस सर्टिफिकेट' भी उपलब्ध नहीं है;

2.यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इस उक्त अनियमितता की जाँच कराने, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले सभी अवैध यूनिपोलों को हटाने तथा दोषी कंपनी व अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नही तो क्यों?

चाहरदिवारी का निर्माण

*43 **श्री तारकिशोर प्रसाद** (63) (**कटिहार**)**:**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी पंचायतों में श्मशान घाट का स्थान कर्णांकित नहीं रहने के कारण हिंदू परिवार मृत परिजनों का अंतिम संस्कार नदी एवं सड़क के किनारे या अपने निजी खेत में करते हैं; यदि हाँ तो सरकार कबतक सभी पंचायतों में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार हेतु भूमि कर्णांकित कर चाहरदिवारी सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

पशु-शेड निर्माण हेतु अग्रिम राशि देना

*44 **श्री पंकज कुमार मिश्र** (29) (**रून्नीसैदपुर**)**:**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों को पशु-पालन का बढ़ावा देकर दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य सरकार का है, जिससे किसान आर्थिक रुप से उन्नत हो सकें ;

2. क्या यह बात सही है कि पशुओं को धूप, वर्षा एवं ठण्ड से सुरक्षित रखने के लिए पशु-शेड का भी प्रावधान ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसानों के लिए है, लेकिन पशु-शेड की प्रक्रिया जटिल रहने के कारण किसान उक्त लाभ से वंचित हो जाते हैं?

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह, गरीब किसानों को पशु-शेड निर्माण कराने हेतु अग्रिम भुगतान कर किसानों को लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो, कब तक ,नहीं तो क्यों?

जल संचयन और भू-जल रिचार्ज हेतु अभियान चलाना

*45 **श्री आनन्द मिश्र** (200) (**बक्सर**)**:**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1.क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के सभी प्रखंडों में भू-जल स्तर दो महीनों में 1.5 मीटर गिरने से चापाकल सूख गए हैं, 'नल-जल योजना' अनियमित है तथा धान के बिचड़े व खरीफ फसलों की सिंचाई पर संकट मंडरा रहा है;

2. क्या यह बात सही है कि जिले में भू-जल रिचार्ज योजनाएं कागजों तक सीमित हैं तथा पारंपरिक तालाब, आहर और पोखरों का जीर्णोद्धार न होने से जल संकट लगातार भयावह होता जा रहा है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पेयजल सुनिश्चित करने, तथा 'जल संचयन और भू-जल रिचार्ज' अभियान चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कम्पनी पर कार्रवाई कराने हेतु

*46 **श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह** (16) **(कल्याणपुर)**:

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा राज्य में एगोविन एग्री सॅाल्यूशन प्रा0 लि0, बेगूसराय से विगत 04 वर्षो से किटनाशक दवा खरीद कर किसानों के बीच वितरित की जा रही है,

2. क्या यह बात सही है कि किसानों की शिकायत पर एग्रोवीन कम्पनी एवं कीटनाशक की जांच भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, दिल्ली के पत्रांक-22-5/chem-TLC/2025-26 (e-17237), दिनांक-06.04.2026 द्वारा किया गया है, जिसमें कम्पनी द्वारा आपूर्ति की गइ्र्र कीटनाशक आमानक पाते हुए एग्रोवीन कम्पनी को ब्लैकलिस्ट/लाईसेंस निरस्त करने हेतु कृषि निदेशक, बिहार को पत्र दिया गया है लेकिन अभी तक उक्त कम्पनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है,

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जांच प्रतिवेदन के आधार पर कबतक उक्त कम्पनी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नही तो क्यों?

भवन निर्माण हेतु

*47 **श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह** (193) **(बड़हरा)**:

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1-क्या यह बात सही है कि सरकार के आदेशानुसार पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, सारण, भोजपुर सहित 14 जिलों में टोपोलैंड की खरीद बिक्री और मालगुजारी

रसीद निर्गत किये जाने पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध हैः
2-क्या यह बात सही है कि माननीय पटना हाई कोर्ट ऐसे मामलों में स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने अतीत में सालों तक मालगुजारी स्वीकार की है तो उस जमीन के पुश्तैनी अधिकारों से नकारा नहीं जा सकता हैः
3-क्या यह बात सही है कि पूरा छपरा शहर टोपोलैंड पर बसा है जहां हाई कोर्ट के आदेश से भवन निर्माण हेतु नक्शा भी स्वीकृत की जा रही हैः
4-यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अतीत में जिन किसानों से मालगुजारी स्वीकार की है,उनका पुश्तैनी अधिकार स्वीकार करते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत करने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों ?

गौ माता की सेवा सरकारी सहयोग से कराने हेतु

*48 **श्री प्रमोद कुमार** (19) (**मोतिहारी**):

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
1.क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मोतीहारी नगर, मधुवन, बंजरीया, मुजफ्फरपुर, सहित राज्य में लगभग एक सौ से ज्यादा गौशाला स्थित है जिस के पास कई सौ एकड़ नामीत जमीन है; जिसके सम्मानीत अध्यक्ष अनुमंडल अधिकारी होते है, जिन के देख-रेख में स्थानीय कमिटि द्वारा गौसाला संचालित होना है,परन्तु सही रख रखाव एवं संचालन के आभाव में इसकी पुस्तैनी सम्पत्ती अतिक्रमित हो रही है; यदि हाँ तो सरकार कबतक मोतिहारी मुजफ्फरपुर, मधुवन, वंजरीया सहित राज्य भर के गौशाला को संरक्षित करते हुए गौ माता की सेवा सरकारी सहयोग से कराने का विचार सरकार रखती है , नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*49 **श्री भाई बिरेंद्र** (187) (**मनेर**):

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्थानीय दैनिक समाचार में दिनांक- 28.06.2026 को प्रकाशित " 9334 गाँवों में खतियाना गायब, भू-माफियाओं ने फाड़ दिये पन्ने,,शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः क्या यह बात सही है कि राज्य में 1900 से 1910 कैडस्ट्रल खतियान सर्वे के उपरान्त 90 साल के बाद पहला चरण 2019 से दिसंबर 2027 तक डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करने कार्य प्रारंभ किया गया है, परन्तु भागलपुर, कटिहार,जमुई ,पूर्णिया सहित अन्य जिलों के 9334 गाँवों का विभागीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय भू-माफियाओं की मिलीभगत से खतियानों का पन्ने फाड़ दिया गया या पन्ने गायब करने वाले दोषी पदाधिकारियों एवं भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

दोषियों पर कार्रवाई करना

*50 **श्री अमरेन्द्र कुमार (219) (गोह):**

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 से 2024 तक राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अधीन राज्य के गंगा, गंडक, कोशी, कमला-बलान, बूढ़ी गंडक आदि प्रमुख नदियों में देसी मछलियों को बचाने के लिए रिवर रैचिंग योजना चलाई गई थी;

2.क्या यह बात सही है कि 13 करोड़ रुपये की इस योजना में भारी वित्तीय अनियमितता की गई, जिसमें बिना आदेश 8.5 करोड़ का बिना टेंडर किए एजेंसी से कार्य कराया गया;

3. क्या यह बात सही है कि इस योजना में तीन रुपये में बिकने वाला जीरा विभाग द्वारा 6 रुपये में खरीदा गया;

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त वित्तीय अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

जमीन की मापी रेट को कम कराना

*51 **मो० कमरुल होदा (54) (किशनगंज):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2023 को बदलकर, नया संशोधन नियमावली 2026 बनाया गया है, जिसमें रैयती जमीन मापी का रेट वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2026 के संशोधन नियमावली में दो गुना कर दिया गया है, जिस कारण आम किसानों, मध्यम वर्ग एवं गरीब मजदूरों को अपनी जमीन की मापी कराने में भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा; यदि हाँ ,तो क्या सरकार 2026 में बढ़ाए गए मापी रेट को कम करने का विचार रखती है ,हां तो, कब तक,नहीं तो क्यों ?

नियत भत्ता में सम्मान जनक वृद्धि कराने हेतु

*52 **श्री तारकिशोर प्रसाद (63) (कटिहार):**

नगर विकास एवं आवास विभाग :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राजएवं ग्राम कचहरी के

जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से डेढ़ गुना वृद्धि की गई है, परन्तु स्थानीय नगर निकाय अंतर्गत नगर निगम के वार्ड पार्षद नगर परिषद के वार्ड पार्षद एवं नगर पंचायत के वार्ड पार्षदो का नियत भत्ता वित्तीय वर्ष 2015-16 से यथावत है, यदि हाँ तो सरकार कब तक स्थानीय नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को भी पंचायती राज के आधार पर नियत भत्ता में सम्मान जनक वृद्धि करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

बिहार चाय बोर्ड का गठन एवं जी०आई० टैग देना

***53 श्री आनन्द मिश्र (200) (बक्सर):**

कृषि विभाग :-

क्या मंत्री,कृषि विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि किशनगंज और पूर्णिया सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र में चाय की खेती का तेजी से विस्तार हो रहा है तथा हाल ही में पूर्णिया के बैसा में भी 3.5 क्विंटल चायपत्ती का सफल उत्पादन हुआ है;

2.क्या यह बात सही है कि स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट और उचित बाजार न होने से किसानों को पत्तियां सस्ते दाम में बेचने या बंगाल भेजने पर मजबूर होना पड़ता है तथा बिहार की चाय को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु अब तक जी०आई० टैग दिलाने की दिशा में कार्रवाई नहीं हुई है;

3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में 'बिहार चाय बोर्ड' का गठन करने तथा इस चाय को 'जी.आई. टैग' दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कार्रवाई करना

***54 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (16) (कल्याणपुर):**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1.क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य वर्ष:-2020 से चल रहा है, परंतु प्रशासनिक शिथिलता के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ;

2.क्या यह बात सही है कि अंचलों में सर्वेक्षण रैयतों द्वारा वंशावली और स्वघोषणा (प्रपत्र-2) जमा करने के बावजूद विशेष सर्वे कर्मियों-अधिकारियों द्वारा अभिलेखों की पर्याप्त जांच व स्थलीय सत्यापन (Physical Verification) किए बिना ही, अनेक वैध रैयतों की पुश्तैनी एवं खतियानी निजी भूमि को भी आनाबाद बिहार सरकार (गैर-मजरूआ खास-मालिक) के रूप में नए खतियान में दर्ज कर दिया गया है,

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त प्रक्रिया को

पारदर्शी और रैयत-हितैषी बनाने के लिए त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियों को स्वतः सुधारने हेतु से कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?